कार्यालय कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)
मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड
(म.प्र.शासन का उपक्रम)
CIN No. U40109MP2001SGC14882
ब्लॉक नं.-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर – 482008
फोन नं. : 0761-2702615 ई मेल : mppgcl@mp.nic.in
फैक्स नं.: 0761-2665805 वेबसाइट : www.mppgenco.nic.in

क्र: का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/अनु.नियु./ 1688 जबलपुर, दि. 7 MAY 2016

-: परिपत्र :-

ऊर्जा विभाग म प्र शासन, भोपाल के पत्र क्रमॉक 11530/ 2015 तेरह दिनॉक 16 दिसंबर 2015 द्वारा सीधी भर्ती एवं अनुकंपा नियुक्ति हेतु चिन्हित पदों पर एक समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं रखे जाने के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमॉक का, नि,(मा, सं, एवं प्रशा) मप्रपाजकंलि/अनु नियु/1425 दिनॉक 19 03 2015 जो कि संशोधित अनुकंपा नियुक्ति 2013 के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश जारी किये जाने से संबंधित है को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

(i) संशोधित अनुकम्पा नियुक्ति नीति 2013 की कंडिका 4.0 में चिन्हित एवं परिपत्र क्रमांक 1425 दिनांक 19.03.2015 के परिशिष्ट दो में वर्णित/चिन्हित पदों में से तृतीय श्रेणी के पद सहायक श्रेणी तीन एवं कनिष्ठ शीघ्रलेखक तथा चतुर्थ श्रेणी के महिला परिचारक/वार्ड आया / वार्ड बॉय लैब अटेंडेंट एवं भृत्य के पदों में दशार्यी गयी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है:-

क्र.	श्रेणी	पद	निर्धारित शैक्षणिक योग्यता
1	तृतीय	कार्यालय सहायक-III	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि तथा राज्य शासन द्वारा निर्धारितमान्यता प्राप्त निम्नलिखित संस्थानों में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र आवश्यक है। 1. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा 2. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा 3. डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा 4. शासकीय पॉलीटेकनिक कॉलेज से मॉडर्न आफिस मैनेजमेंट कोर्स 5. शासकीय आई.टी.आई द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग अस्टिटेंट (COPA) प्रमाणपत्र किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर स्नातक उपाधि होने पर उपरोक्त प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं होगी ।
2	तृतीय	कनिष्ठ शीघ्रलेखक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि। म.प्र. शीघ्रलेखन तथा मुद्रालेखन परीक्षा बोर्ड भोपाल या उसके समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी अथवा अंग्रेजी आशुलिपिक एवं टंकण परीक्षा उत्तीर्ण। किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था से कम्प्यूटर डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण
3	चतुर्थ	महिला परिचारक/ वार्ड आया/वार्ड ब्वाय	कक्षा आठवीं उत्तीर्ण
4	चतुर्थ	लैब अटेन्डेन्ट	आठवीं पास
5	चतुर्थ	भृत्य	आठवीं पास

...............02

परिपत्र क्रमॉक का, नि,(मा, सं, एवं प्रशा) मप्रपाजकंलि/अनु नियु/1425 दिनॉक 19.03.2015 में उल्लेखित अन्य पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यथावत रहेंगी।

(ii) परिशिष्ट एक में दर्शाये गये ''अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप'' में अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ को चिपकाकर परियोजना/विद्युत गृह/कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित किये जाने हेतु समावेश किया जाता है।

(iii) परिशिष्ट-तीन 'संशोधित अनुकंपा नियुक्ति नीति 2013 की पात्रता हेतु जॉच बिन्दु का प्रपत्र' में मृत कार्मिक से संबंधित जानकारियॉ यथा, नाम एवं पदनाम, जन्म तिथि एवं जीवित रहने पर सेवानिवृत्ति की तिथि का समावेश किया जाता है। संशोधित 'परिशिष्ट–तीन' का प्रारूप संलग्न है।

(iv) अनुकंपा नियुक्ति आवेदन पत्र के साथ अन्य आश्रित सदस्यों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर दिये जाने वाले संशोधित अनापत्ति प्रमाण एवं अनुकंपा नियुक्ति हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा दिये जाने वाले घोषण पत्र हेतु शपथ का प्रारूप परिशिष्ट पॉच एवं छः में संलग्न है।

उपरोक्त संशोधनों के अतिरिक्त परिपत्र क्रमॉक का, नि,(मा, सं, एवं प्रशा) मप्रपाजकंलि/अनु नियु/1425 दिनॉक 19.03.2015 में उल्लेखित अन्य दिशा-निर्देश, नियम एवं शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

तदानुसार कृपया उपरोक्त निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के साथ कंपनी में संशोधित ''अनुकंपा नियुक्ति नीति-2013'' का क्रियान्वयन इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से लागू किया जाता है।

संलग्नः- संशोधित परिशिष्ट एक, तीन एवं
परिशिष्ट पांच से छः.

आदेशानुसार,

(ए.के.अवस्थी)
कार्यपालक निदेशक (मा.सं.एवं प्र.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर

क्रः का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/अनु.नियु./ 1689 जबलपुर, दि. 7 MAY 2016.

प्रतिलिपि:-

1. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र.शासन ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. संचालक (तकनीकी)/(वाणिज्य), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. जबलपुर।
3. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (संचा.संधा.-उत्पा.)/(नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण)/(ईंधन प्रबंधन)/(सामग्री प्रबंधन)/(संचा.संधा.-जलविद्युत)/(परि.-उत्पा.)/(अभियांत्रिकी)/ (सिविल अभियांत्रिकी)/(उत्पा.) संगाताविगृ/सताविगृ/अताविगृ/श्री सिंगाजी ताविपरि., म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. जबलपुर/ बिरसिंहपुर/सारनी/चचाई/खण्डवा।
4. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. जबलपुर।
5. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र.पॉ.मैने.कं.लि. जबलपुर.
6. मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि. जबलपुर.
7. मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.एवं प्रशा.), म.प्र.पूर्व/पश्चिम/मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर/इंदौर/भोपाल।
8. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. जबलपुर।
9. अति.मुख्य अभि.(उत्पा.भंडार)/(सी.एस.)/(सिविल) सर्वे.एवं अन्वे.-जलविद्युत वृत्त/ (टीएचसी), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. जबलपुर/सिरमौर ।

10. कार्यपालक सहायक सम्बद्ध अध्यक्ष, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. भोपाल ।
11. मुख्य चिकित्साधिकारी, चिकित्सालय, म.प्र.पॉ.मैन.कं.लि. भोपाल ।
12. मुख्य/वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, कंपनी चिकित्सालय, संगाताविगृ/सताविगृ/अताविगृ/श्री सिंगाजी ताविपरि., म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. बिरसिंहपुर/सारनी/चचाई/खण्डवा।
13. अधीक्षण अभियंता (उत्पा.),गांधीसागर/पेंच/राअबासा/राजघाट/मडीखेडा/बाणसागर–II/III/IVजविगृ, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., गांधीसागर/तोतलाडोह/बरगीनगर/चंदेरी/शिवपुरी/सिलपरा/देवलोंद/ झिन्ना।
14. संयुक्त सचिव-एक/कंपनी सचिव, कार्या.-कार्यपालक निदेशक (मा.सं.एवं प्रशा.) म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. जबलपुर।
15. वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी/(सी.ओ.जी.एण्ड एच.एस.)/ संगाताविगृ/सताविगृ/अताविगृ/श्री सिंगाजी ताविपरि., म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. जबलपुर/बिरसिंहपुर/सारनी/चचाई/खण्डवा।
16. निज सचिव/निज सहायक सम्बद्ध- प्रबंध संचालक/ संचालक (तकनीकी)/(वाणिज्य), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. जबलपुर।

- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(पी.के.श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव-दो
कार्या.-कार्य. निदे.(मा.सं.एवं प्र.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर

संशोधित परिशिष्ट– एक

आवेदक की परियोजना/विद्युत गृह/कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित फोटो

अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. दिवंगत कार्मिक का पूर्ण नाम ....
2. दिवंगत कार्मिक के पिता/पति का नाम ....
3. पदनाम ....
4. दिवंगत कार्मिक की कर्मचारी संख्या ....
5. दिवंगत कार्मिक की मृत्यु का दिनांक ....
6. दिवंगत कार्मिक की मृत्यु का कारण
   (i) क्या कर्मचारी की मृत्यु कंपनी/मण्डल के कार्य के दौरान हुई है ? यदि हाँ तो नियंत्रणकर्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
7. कार्यालय का नाम जहां मृत्यु पूर्व दिवंगत कार्मिक पदस्थ था/थी ....
   ....
8. आवेदक/आवेदिका का पूर्ण नाम ....
9. दिवंगत कार्मिक से संबंध ....
10. स्थायी पता ....
    ....
11. वर्तमान पता ....
    ....
12. जन्म तिथि .... अंकों में ....
    शब्दों में ....
13. आवेदन दिनांक पर आयु – ....
    वर्ष/माह/दिन ....
14. जाति (यदि अनुसूचित जाति/जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के हों तो स्पष्ट रूप से दर्षायें) ....
    ....
15. षैक्षणिक अर्हताओं का विवरण ....
16. अन्य अर्हताओं का विवरण ....
17. दिवंगत कार्मिक के आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण एवं आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु सहमति :–

स. क्र.	परिवार के सदस्यों के पूर्ण नाम	आयु	दिवंगत कार्मिक से संबंध	यदि सेवारत हों तो उसका विवरण, कंपनी/अर्द्ध–षासकीय या निजी सेवा	आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु परिवार के सदस्यों की सहमति/ असहमति	सहमति/ असहमति हेतु हस्ताक्षर	टीप
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							

....................02

घोषणा – पत्र

1. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी नियुक्ति के पूर्व या बाद में असत्य/गलत पायी जाती है अथवा नियुक्ति के पश्चात् अपात्रता पाई जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि मेरी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी और इस संबंध में प्रावधानित विधि एवं नियमों के अधीन मेरे द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी ।

2. मैं यह भी वचन देता हूँ/देती हूँ कि मैं स्व.श्री .... (दिवंगत कार्मिक का नाम) के आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण पोषण करुगां/करूगीं। बाद में किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाये कि मेरे द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण पोषण नहीं किया जा रहा है तो मेरी अनुकंपा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।

स्थान – ....
दिनांक – ....

....
आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

कार्यालय प्रमुख का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. आवेदक/आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये सम्पूर्ण तथ्यों/विवरण की सूक्ष्मता से जांच कर ली गई है ।
2. आवेदक/आवेदिका ने आश्रित परिवार तथा उनके रोजगार, आय एवं संमत्ति का जो विवरण दिया है, उसका प्रमाणीकरण कर लिया गया है ।
3. मैं पूर्ण जांचोपरांत इस बात से संतुष्ट हूँ कि आवेदक/आवेदिका को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता आती है, साथ ही, दिवंगत कार्मिक के आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति दी जाना उचित होगा।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर
(जहां दिवंगत कंपनी सेवा कार्यरत था/थी)
नाम ....
कार्यालय का नाम ....
....

टीप – आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वतः द्वारा अभिप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न की जावे ।

(1) दिवंगत कार्मिक का मृत्यु प्रमाण पत्र ।
(2) षैक्षणिक तथा अन्य अर्हताओं की अंकसूची/प्रमाण पत्र ।
(3) जन्म तिथि प्रमाण पत्र ।
(4) मध्यप्रदेष के स्थानीय निवास/मूल निवास होने का प्रमाण पत्र ।
(5) यदि आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो तद्विषयक प्रमाण पत्र।
(6) कंडिका 17 में दर्षाये गए परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर सक्षम नोटरी द्वारा प्रमाणित सहमति/अनापत्ति संबंधी शपथ पत्र ।

——

संशोधित परिशिष्ट– तीन

संशोधित अनुकंपा नियुक्ति नीति 2013 की पात्रता हेतु जॉच बिंदु का प्रपत्र

(i) मृत कार्मिक का नाम एवं पदनाम :–

(ii) मृत कार्मिक की जन्म तिथि :–

(iii) मृत कार्मिक की जीवित रहने पर सेवानिवृति तिथिः–

क	विषय	स्थिति	टीप
(1) पात्रता की शर्ते			
1.1	क्या प्रकरण दिनॉक 15.11.2000 के पूर्व का अस्वीकृत निराकृत एवं लंबित प्रकरण	हॉ/नहीं	
1.2	(अ) क्या कार्मिक की मृत्यु दिनॉक 10 अप्रेल, 2012 के पूर्व एवं दिनांक 15.11.2000 के पश्चात्, पुर्ववर्त्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल/कंपनी कार्य करते समय आकस्मिक दुर्घटना, विद्युत दुर्घटना, हमलावरों द्वारा हत्या अथवा कार्य के दौरान वाहन दुर्घटना में मृत्यु हुई है । (ब) क्या कार्मिक की मृत्यु दिनॉक 10 अप्रेल, 2012 के पश्चात् कंपनी कार्य करते समय आकस्मिक दुर्घटना, विद्युत दुर्घटना, हमलावरों द्वारा हत्या अथवा कार्य के दौरान वाहन दुर्घटना में मृत्यु हुई है । (स) कार्मिक की मंडल/कंपनी के कार्य करते हुए उपरोक्त (अ) एवं (ब) में दर्शाये मृत्यु के कारणों की पुष्टि हेतु प्रमाणिक दस्तावेज संलग्न हैं। (द) परियोजना/विद्युत गृह/मुख्यालय प्रमुख द्वारा कार्मिक की मंडल/कंपनी के कार्य करते हुए उपरोक्त (अ) एवं (ब) में दर्शाये मृत्यु के कारणों की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र संलग्न हैं।	हॉ/नहीं हॉ/नहीं हॉ/नहीं हॉ/नहीं	
1.3	(अ) क्या संशोधित अनुकंपा नियुक्ति नीति दिनॉक 12.12.2014 के पूर्व हुई दुर्घटना मृत्यु का आवेदन संशोधित अनुकंपा नीति दिनॉक 12.12.2014 से 12 माह के अंदर अर्थात् 12.12.2015 के पूर्व प्राप्त हुआ है। (ब) क्या दिनॉक 12.12.2014 के पश्चात् हुई दुर्घटना मृत्यु का आवेदन मृत्यु दिनॉक से 6 माह के अंदर प्राप्त हुआ है ।	हॉ/नहीं हॉ/नहीं	
1.4	क्या दिवंगत कार्मिक किसी विशेष में कार्यरत् न होकर पूर्ववर्ती मंडल की कॉमन सेवाओं में कार्यरत था यदि हॉ तो कार्यालय का विवरण एवं वह कार्यालय वर्तमान में किस कंपनी के अंर्तगत अवस्थित होता (ऐसे आवेदन एम.पी. पी. एम.सी.एल. द्वारा स्वीकार किये जायेंगे)।	हॉ/नहीं	
1.5	क्या दिवंगत सेवक के परिवार का कोई भी अनुकंपा नियुक्ति का पात्र सदस्य पूर्व से शासकीय सेवक अथवा केन्द्र या किसी राज्य शासन के निगम, मंडल, परिषद्, आयोग, कंपनी आदि में नियोजित है।	हां/नहीं	
1.6	क्या दिवंगत कार्मिक के परिवार का अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र सदस्य केन्द्र शासन या किसी राज्य सरकार द्वारा अथवा उसे स्वत्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी सार्वजनिक उपक्रम अथवा निगम, मंडल, परिषद्, आयोग द्वारा पदच्युत व्यक्ति है ।	हां/नहीं	
1.7	क्या दिवंगत कार्मिक प्रशिक्षु तदर्थ अथवा संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था अथवा बाह्य स्त्रोत एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत था ।	हां/नहीं	

(2) – अनुकंपा नियुक्ति हेतु आश्रित की पात्रता			
2.1	क्या आवेदक दिवंगत कार्मिक की पत्नी/पति है एवं पूर्णतः आश्रित है ?	हां/नहीं	
2.2	(अ) क्या आवेदक दिवंगत सेवक का पुत्र है, अथवा (ब) अविवाहित पुत्री है अथवा ऐसी विवाहित पुत्री है जिसके पति की मृत्यु हो चुकी हो अथवा वह तलाकशुदा है तथा ऐसी अविवाहित, विवाहित अथवा तलाकशुदा पुत्री होकर दिवंगत सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उसके साथ रह रही थी ।	हां/नहीं हां/नहीं	
2.3	अ. क्या कंपनी सेवक के परिवार में एक से अधिक अनुकंपा नियुक्ति के पात्र हैं ? ब. क्या आवेदक हेतु, (1) पत्नी/पति की सहमति एवं, पति/पत्नी के न होने पर, परिवार की सर्वसम्मति है ? (2) परिवार की सहमति न होने पर कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया जायेगा कि किसी अनुकंपा नियुक्ति दी जाये ?	हां/नहीं हां/नहीं	
2.4	क्या आवेदक दिवंगत कार्मिक के परिवार का पूर्णतः आश्रित सदस्य है ?	हां/नहीं	
2.5	अ– क्या मृतक के आश्रितों को पूर्ववर्ती म.प्र.रा.वि.म. के परिपत्र क्रमांक 01–07/छः/सी.एफ.ए./ 482 दिनांक 05.08.2006 या म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. के प्रावधानों के अनुसार कोई अनुकम्पा वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत आर्थिक लाभ प्रदान किया जा रहा है ? ब– यदि हॉ, तो आदेश की प्रति संलग्न करें ।	हॉ/नहीं	
2.6	अ– क्या मृतक के आश्रितों को पूर्ववर्ती म.प्र.रा.वि.म. के परिपत्र कमांक 01–05/VI/765 दिनांक 30.01.1989 एवं परिपत्र कमांक 01–05/VI/N/4022 दिनांक 29.07.2010 या म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. के प्रावधानों के तहत एन्यूटी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है ? ब– यदि हॉ तो आदेश की प्रति संलग्न करें ।	हॉ/नहीं	
(3) – अनुकंपा नियुक्ति का पद			
3.1	क्या आवेदन में निवेदित पद के अनुसार शैक्षणिक अर्हता, योग्यता एवं अन्य न्यूनतम मापदण्डों का आवेदक के द्वारा पालन हो रहा है ?	हां/नहीं	
(4) – अनुकंपा नियुक्ति में शिथिलीकरण			
4.1	क्या पात्र आश्रित निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में आठ वर्ष जोड़ने अथवा मृत्यु दिनांक से संशोधित नीति जारी होने की तिथि, जो भी अधिक हो जोड़ने के उपरांत भी आयुसीमा के अंतर्गत है ?	हां/नहीं	

ताप/जल विद्युत गृह /परियोजना/ मुख्यालय
प्रमुख के हस्ताक्षर एवं पदमुहर

<u>परिशिष्ट-पाँच</u>

प्रोफार्मा अनापत्ति समस्त सहमति दाताओं द्वारा

(शासन द्वारा निर्धारित ५० -/मूल्य के नान ज्यूडीयिशल सटाम्प पर
नोटरी के समक्ष हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित)

<u>सहमति पत्र</u>

यह कि हम सहमतिदाता (1) नाम ----------- आयु ----------------- आत्मज---- (2) ------नाम ------------ आयु ------------ आत्मज (3) -----------नाम ------------ आयु ------------------------------ आत्मज (4) -----------नाम ------------ आयु ----------- आत्मज (5) -----------नाम ------------ आयु ------ आत्मज -----------निवासी ------------------- -पता ---------------------- ग्राम ------- --------पोस्ट -----------थाना व तहसील -------- -जिला --------------------शपथपूर्वक कथन करता /करती हूँ कि :–

1 हम शपथकर्त्ता के पिता/माता/------------- (रिश्ता) श्री -------------जो कि म०प्र०रा०वि०मं० /म०प्र०पा०ज०क०लि० में -----------------------(पदनाम) के पद पर ------- ---------------------------------- (कार्यालय का नाम) में कार्यरत थे का दिनॉक --------- को सामान्य /मंडल अथवा कंपनी के कार्य करते समय आकस्मिक दुर्घटना /सामान्य मृत्यु से निधन हो गया है ।

2 यह कि हम शपथकर्त्ता के परिवार का कोई भी पात्र आश्रित (जिसमें अविवाहित बहन भी शामिल है) सदस्य केन्द्र शासन या किसी राज्य सरकार द्वारा अथवा उसके स्वत्याधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी सार्वजनिक उपक्रम अथवा निगम मंडल परिषद आयोग आदि के अंर्तगत सेवारत नहीं है ।

3 यह कि हम शपथकर्त्ता के भाई /बहिन /पुत्र /पुत्री/ ---------------- (रिश्ता) को म०प्र०पा०ज०क०लि० में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने पर हम शपथकर्त्ताओं को कोई आपत्ति नहीं है ।

4 यह कि हम शपथकर्त्ता अपने पूर्ण होशो हवास में बिना किसी भय लालच अथवा दवाब के मेरे भाई /बहिन /पुत्र/पुत्री/ .... (रिश्ता) को म०प्र०पा०ज०क०लि० में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु पूर्ण सहमत हूँ ।

5 यह कि आवेदक द्वारा शपथ पत्र में दी गई कोई भी जानकारी यदि असत्य अथवा गलत पाई जाती है या आवेदक द्वारा कोई जानकारी छुपाई जाती है तो आश्रित की अनुकंपा नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त करने में हम शपथकर्त्ताओं को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

हस्ताक्षर सहमतिदाता (1) .... (2) .... (3) ....
(4) .... (5) ....

<u>सत्यापन</u>

हम शपथकर्त्ता यह सत्यापित करते है कि उक्त कंडिका 1 से 5 तक वर्णित हमारी समस्त जानकारियॉं सत्य व सही है तथा इसमें कोई भी तथ्य नहीं छिपाये गये हैं ।

हस्ताक्षर सत्यापनकर्त्ता (1) .... (2) ....
(3) .... (4) .... (5) ....
दिनॉंक ....
स्थान...........................

<u>परिशिष्ट-छः</u>

प्रोफार्मा आवेदक द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र

(शासन द्वारा निर्धारित ५० /मूल्य के नान ज्यूडीयिशल सटाम्प पर
नोटरी के सक्षम द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित)

<u>शपथ पत्र</u>

यह कि मैं आवेदक नाम------------ आयु -----------------आत्मज------------------ पता - -----------------------ग्राम --------पोस्ट -----------थाना व तहसील ---------जिला-------------- ------शपथपूर्वक निम्नानुसार घोषणा करता /करती हूँ कि :–

1 यह कि मैं शपथकर्त्ता कथन करता हूँ कि मेरे पिता /माता /पति /पत्नि श्री .... जो कि म०प्र०रा०वि०मं० /म०प्र०पा०ज०क०लि० में ....(पदनाम) के पद पर .... (कार्यालय का नाम) में कार्यरत थे का दिनॉक --------- को सामान्य / मंडल अथवा कंपनी के कार्य करते समय आकस्मिक दुर्घटना /सामान्य मृत्यु से निधन हो गया है |

2 यह कि मुझ शपथकर्त्ता को अपने मृत कार्मिक पिता /माता के स्थान पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पस्तुत कर रहा हूँ जिसमें मेरे परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों की पूर्ण सहमति है व सहमति पत्र के माध्यम से सहमति प्रदान कर चुके हैं । समस्त जीवित आश्रित जैसे कि माँ/पिता /भाई /बहिन /पुत्र /पुत्री /के भरण पोषण एवं देखरेख की जवाबदारी मेरी होगी जिसका मैं भलीभॉति निर्वहन करूँगा यदि मेरे द्वारा अपनी जवाबदारी में किसी प्रकार की कोई हीला हवाली की जाती है तो मेरे विरूद्व किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिये मैं शपथकर्त्ता स्वयं जिम्मेदार रहूँगा /रहूँगी |

3 यह कि मुझ शपथकर्त्ता द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात परिवार एवं आश्रितों की पूर्ण जवाबदारी मुझ शपथकर्त्ता की होगी । जिस वास्ते यह शपथ पत्र प्रस्तुत है |

4 यह कि मृत कंपनी सेवक के परिवार का कोई भी पात्र आश्रित सदस्य केन्द्र शासन या किसी राज्य सरकार द्वारा अथवा उसके स्वत्याधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी सार्वजनिक उपक्रम अथवा निगम मंडल परिषद आयोग के अंर्तगत सेवारत नहीं है ।

5 यह कि मेरे द्वारा शपथ पत्र में दी गई कोई भी जानकारी यदि असत्य अथवा गलत पाई जाती है या कोई जानकारी छुपाई जाती है तो मुझ शपथकर्त्ता की अनुकंपा नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा |

हस्ताक्षर शपथकर्त्ता ---------------

<u>सत्यापन</u>

मैं शपथकर्त्ता यह सत्यापित करता हूँ कि उक्त कंडिका 1 से 5 तक वर्णित जानकारियॉं सत्य व सही है तथा इसमें कोई भी तथ्य नहीं छिपाये गये हैं |

हस्ताक्षर सत्यापनकर्त्ता ---------------

दिनॉक ---------
स्थान ----------